# विज्ञापन

## एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) योजनांतर्गत राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तरीय "उन्नत कृषक पुरस्कार" वर्ष 2018–19 (निर्धारण वर्ष 2017–18) हेतु आवेदन आमंत्रण

एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) योजनांतर्गत राज्य, जिला एवं विकासखंड तीनों स्तर के "उन्नत कृषक पुरस्कार" वर्ष 2018–19 हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यह पुरस्कार कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्यपालन क्षेत्र में दिये जायेंगे तथा चयनित कृषक को पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जावेगा। क्षेत्रवार निर्धारित पुरस्कार संख्या एवं स्तरवार निर्धारित पुरस्कार राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

| स्तर | क्षेत्रवार निर्धारित पुरस्कार संख्या | | | | | | पुरस्कार संख्या (प्रतिवर्ष) | पुरस्कार राशि प्रति कृषक प्रतिवर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कृषि–धान | कृषि–दलहन/तिलहन | उद्यानिकी | पशु पालन | मत्स्य पालन | योग | | |
| राज्य | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 50,000/– |
| जिला | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 (प्रति जिला) | 25,000/– |
| विकासखण्ड | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 (प्रति विकासखण्ड) | 10,000/– |

कृषक पुरस्कार हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट तथा कृषि, उद्यानिकी, मत्स्यपालन एवं पशुपालन विभाग के जिला व विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक कृषक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला व विकासखण्ड स्तरीय संबंधित क्षेत्र के कार्यालयों में सीधे अथवा डाक से जमा कर सकते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2018 निर्धारित है।

आवेदन हेतु निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान दिया जावे :–

1. आवेदनकर्ता कृषक जिस स्तर अथवा क्षेत्र के पुरस्कार हेतु आवेदन करना चाहता है उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे के ऊपर करें। उदाहरण – **राज्यस्तरीय कृषक पुरस्कार, क्षेत्र कृषि–धान।**
2. राज्य, जिला एवं विकासखंड तीनो स्तर के कृषक पुरस्कार हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र में वर्ष 2017–18 में अपनाई गई एवं की गई कार्यवाही का विवरण दिया जावे।
3. आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को प्रमाणित करने हेतु आवश्यक अभिलेखों का, अपनाई गई गतिविधियों/तकनीकी के फोटोग्राफ्स का तथा उल्लेखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियों का अनिवार्यतः समावेश किया जावे।

Scanned by CamScanner

4. कृषक वर्ष में तीनों स्तर यथा राज्य, जिला व विकासखण्ड हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगें। परंतु एक वित्तीय वर्ष में एक ही स्तर के पुरस्कार हेतु उनका चयन किया जावेगा।
5. यदि किसी कृषक द्वारा किसी भी स्तर में पुरस्कार प्राप्त करने पर पुनः उसी अथवा इतर स्तर पर किसी भी क्षेत्र में आवेदन किए जाने की दशा में उन्हें अपात्र माना जावेगा।
6. पूर्व वर्षों में योजनान्तर्गत कृषक पुरस्कार से सम्मानित कृषक यदि पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से आवेदन करता है तो मान्य नहीं किया जावेगा।
7. योजनान्तर्गत कृषक के खेत में डाले गये विभागीय प्रदर्शनों अथवा समूह की गतिविधियों का समावेश आवेदन में किये जाने की दशा में ऐसे आवेदनों को मान्य नहीं किया जावेगा।
8. आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित जानकारियां स्वयं के विवेक से स्पष्ट अक्षरों में सही–सही भरा जावे। अस्पष्ट, अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा असत्यापित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।
9. निर्धारित प्रपत्र में सफलता की कहानी के साथ किसान संगवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, बी.टी.एम./ए.टी.एम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा उप संचालक कृषि से हस्ताक्षरित अनुशंसा पत्रक अनिवार्यतः भरा जावे।
10. आवेदन सीधे अथवा डाक से दिनांक 31.08.2018 को सायं 05:00 बजे तक स्वीकार किये जावेंगे, तत्पश्चात् प्राप्त आवेदनो पर विचार नही किया जावेगा।
11. आवेदक कृषक के पास उसका स्वयं का आधार कार्ड, बैंक खाता तथा स्वयं के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
12. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

**संचालक कृषि द्वारा अनुमोदित।**

31/7/18

**अपर संचालक कृषि**
**संचालनालय कृषि**
**छ.ग., रायपुर**

Scanned by CamScanner